सम्पादक के नाम

कैद में कत्ल न हो जाएं

एक बार फिर जयपुर की जेल में आजमगढ़ के उन युवाओं पर कातिलाना हमला हुआ जिन्हें 11 साल पहले जब उनके खेलने खाने के दिन थे तब हुकूमत ने कैद कर दिया था. इसी जेल में 2009 में आजमगढ़ के सरवर और अन्य को जेल प्रशासन द्वारा उस समय लाठियों से पीटा गया जब वह जेल में ईद की नमाज़ अदा करना चाहते थे.

इससे पहले यरवदा जेल में क़तील सिद्दीकी की अंडा सेल में जून 2012 में हत्या, तिहाड़ जेल में 2010 में सलमान पर धारदार हथियार से कातिलाना हमला, पेशी से लखनऊ जेल लाते वक़्त खालिद मुजाहिद की हत्या हो चुकी है। अहमदाबाद जेल में अक्टूबर 2014 में कैदियों को बुरी तरह से मारापीटा गया, वारंगल में जेल से पेशी के लिए ले जाते वक्त गोलियों से भून दिया, भोपाल जेल से निकालकर की गई हत्याओं को हम नहीं भूलें हैं.

सिवान की मिट्टी में समा गए कामरेड चंद्रशेखर जैसी ही शहादतें पिछले दस साल से आज़मगढ़ बाटला हाउस के बाद दे रहा है. हर दिन अपने बच्चों के बारे में अफ़वाहों ने हमारी माओं के आसुओं को सुखा दिया है कि बच्चे उनके आसुओं को देखकर दुखी न हो जाएं.

आतंकवाद के कलंकित ठप्पे के खिलाफ हमने प्रतिरोध की वो पहचान बनाई जिसने पूरे देश में इस बहस को स्थापित किया कि आतंकवाद के नाम पर बेगुनाह मुस्लिम युवाओं को हर उस हुकूमत ने फसाया जिसे इस देश पर राज करना था. शाहिद आज़मी से लेकर जो शहादतें आज़मगढ़ ने दी इतिहास उसे जरूर दर्ज करेगा कि कितने भी मुश्किल हालात हों इस संघर्ष में सब एकजुट थे.

आज जब एक बार फिर वारंगल, भोपाल की तरह फ़ैसले आने के ठीक पहले जिस तरह जयपुर जेल में कातिलाना हमला हुआ उसने साफ किया है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर जो आतंकवाद का ठप्पा लगा है वो लगा रहे पर उनके इस मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे.

आइये एकजुट होकर जयपुर जेल में हुए कातिलाना हमले का विरोध करें...

- रिहाई मंच

मैने संघ को क्यों छोड़ा ?

देवरस जी का बनारस मे कार्यक्रम था करीब चालीस साल पहले. मैने उनका बौद्धिक सुना और प्रभावित हुआ.

"अपने धर्म के अंदर व्याप्त बुराई को खत्म करने के लिए समाज व देश की सेवा करनी चाहिए, कुछ समय देना चाहिए. इसाई भी ऐसा करते है."

मै संघ मे शामिल हुआ. शाखा मे जाने लगा.

जहा हमारी शाखा थी, वह जिला मुख्यालय की सबसे अधिक पढे लिखे अधिकारियो का स्थान था.

कुछ दिनो बाद मै मुख्य शिक्षक बन कर संघ की ट्रेनिंग भी बाहर जाकर किया.

देवरस जी ने कहा था –

"भारत का रहने वाला हर निवासी हिन्दू है चाहे उसकी पूजा पद्धति अलग क्यो न हो."

यह बात मेरे दिल में बैठ गयी. मै मन लगा कर काम करने लगा. पढाई भी दिल से कर रहा था.

एक दिन की बात है जिला संघ चालक हमारे शाखा मे आये. सबका परिचय हुआ. एक लड़का था शहनवाज मिया.

जब परिचय दिया तो वे चौक गये. हमसे पूछा –

"इसे कौन लाया ?"

"मै लाया हू," मैने जबाब दिया.

"क्यो लाये ?"

मैने कहा भारतीय है, "हर भारतीय हिन्दू है बस उसकी पूजा की विधि अलग है." उन्होने कहा कि "आप लडके के घर जाकर बताये कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा मे जाता है ?"

मै उनके घर गया और लडके की माँ को बताया तो बोली, "बेटा कही ले जाओ अच्छी बात बताना. चोरी बदमाशी मत सिखाना."

"ठीक है", मै बोला. एक हफ्ते बाद संघ चालक फिर आये, लडके को फिर देखा, सवाल किया कि, "घर बताये थे ?" मैने कहा, "हाँ बताया, घर वाले राजी हैं." वे चिन्ता मे पड गये. बोले, "उसके घर जाकर बताये कि शाखा मे भारत माता की जय बोला जाता है. बंदे मातरम बोला जाता है. नदियो को माँ कहा जाता है."

मैने लडके के घर जाकर उसकी माँ से बात बताई. उसकी मा सीधी साधी अनपढ़ थी. बोली, "ठीक है बेटा, जो मन करे वो पढाओ बस चोरी बदमाशी से दूर रखना."

आखिर एक हफ्ते बाद फिर वही बात संघ चालक बहुत परेशान! उन्होंने हमारे दो मुख्य शिक्षको को हमे समझाने भेजा जिसमे आज एक ब्रिगेडियर है तथा दूसरा पुलिस अधीक्षक. कहने लगे, "देवरस जी की बात को आप गंभीरता से ना ले. चौकी की बात और चौका की बात और. मुसलमान देश के पूर्वज पर बहुत अत्याचार किये है, इनको दूर रखना है."

मै बोला, "अत्याचार किये है तो अब वही बुराई तो दूर करना है उनको अच्छा नागरिक बनाना है." बहुत बहस के बाद वे चले गये. फिर संघ चालक कहने लगे, "उस लडके का नाम बदलकर शंकराचार्य रखा जायेगा." मैने उनके घर जाकर बताया. वे कुछ नही बोले पर लडके का शाखा मे आना बंद हो गया; पर हमे दुख बहुत हुआ.

फिर चुनाव आया. आदेश आया कि जनसंघ के लिए काम करना होगा. मै कहा, "क्यो ? यह तो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है ? हम तो वोट चौधरी चरण सिंह को देगे." फिर तो उनको करंट लग गया. बोले, "चरण सिंह कक्षा 3 पास अनपढ़ आदमी, भैस चराता है, उसको वोट नही देना चाहिए."

और मै यही जानकारी बहुत दिन तक सहेजे रहा. संयोगवश एक कालेज के सम्मेलन मे मैने वही बात बोल दिया कि "चरण सिंह तीन पास नेता बन गये, तो ये हमारे विद्यार्थी क्या नही बन सकते ?"

कालेज के प्रिन्सिपल ने हमे अलग बुलाकर कहा कि "आपको किसने कहा कि चरण सिंह तीन पास थे ?" मैने कहा "संघ के लोग." वे हसने लगे ये कहते हुए कि "आप हाफ पैंट पहनने वाले उल्टी खोपड़ी वालो के साथ रहेगे तो यही जानेगे ना? चरण सिंह बीएससी एलएलबी है और बहुत विद्वान हैं" उनकी दो लिखी किताबें हमे दिखाये जो कृषि निति पर थी.

हमे बहुत शर्मिन्दगी महसूस हुआ. और संघ छोड ही दिया! मैने अच्छा काम किया ना ?

- डॉक्टर उदय नारायण

क्या 'राजद्रोह' हटेगा ?

कनक तिवारी

राजनेता, मीडिया, विश्वविद्यालय और स्वयंभू प्रबुद्ध वर्ग देशद्रोह, राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह शब्दों को गड्डमगड्ड कर रहे हैं। देशद्रोह और राष्ट्रद्रोह शब्द भारतीय दंड संहिता में हैं ही नहीं। धारा 124-क के अनुसार- जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा, या दृश्यरूपण द्वारा अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा, या पैदा करने का, प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा, या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या तीन वर्ष तक के कारावास से, जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। स्पष्टीकरण 1-''अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं।"

राजद्रोह की पैदाइश और संवैधानिक स्थिति समझना जरूरी है। 1850 में ब्रिटिश संसद में रचित भारतीय दंड संहिता में शामिल राजद्रोह में 1870 में संशोधन भी हुआ। लोकमान्य तिलक पर 1897 में राजद्रोह का मुकदमा चला। परिभाषा की अपूर्णता के कारण 1898 में उन्हें छोड़ दिया गया। 1898 में परिभाषा संशोधित हुई। तिलक को 1908 में राजद्रोह के लिए गिरफ्तार कर 6 वर्ष काले पानी की सजा दी गई। 1922 में राजद्रोह का अपराध चलने पर गांधी ने व्यंग्य में जज से कहा कि यह अंगरेजी कानून की जनता की स्वतंत्रता को कुचलने की धाराओं में राजकुमार की तरह है। गांधी को छह वर्ष की सजा दी गई।

संविधान सभा के ड्राफ्ट में अभिव्यक्ति की आजादी को राजद्रोह सहित प्रतिबंधों के साथ परिभाषित किया गया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने तर्कपूर्ण भाषण के जरिए राजद्रोह शब्द रखने का कड़ा विरोध किया। मुंशी ने बताया कि राजद्रोह शब्द की विचित्र गति होती रही है। डेढ़ सौ वर्ष पूर्व इंग्लैंड में सभा करना अथवा जुलूस निकालना राजद्रोह समझा जाता था। ब्रिटिश काल में भारत में एक कलेक्टर की आलोचना करने पर राजद्रोह का अपराध बताया गया। महबूब अली बेग साहब बहादुर ने कहा कि ऐसे प्रावधान के कारण हिटलर जर्मनी के विधानमंडल द्वारा बनाए हुए कानूनों के अधीन बिना मुकदमा चलाए हुए जर्मनों को बंदी शिविरों में रख सकता था। सेठ गोविन्ददास ने राजद्रोह को संविधान से उखाड़ फेंकने की मांग की। रोहिणी कुमार चौधरी ने कहा कि यह अभागा शब्द देश में कई क्लेशों का कारण रहा है। इसकी वजह से स्वतंत्रता पाने तक में देर हुई है। टी.टी. कृष्णमाचारी ने बताया कि अमेरिकी कानूनों में अठारहवीं सदी के अंत में कुछ समय के लिए इस तरह के प्रावधान थे लेकिन इस शब्द के प्रति विश्वव्यापी घृणा फैल गई। संविधान के पहले संशोधन पर 1951 में संसद में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द को हटाने की पुरजोर दलील दी। फिर भी यह शब्द भारतीय दंड संहिता में कायम रह गया।

पंजाब उच्च न्यायालय ने 1951 तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1959 में राजद्रोह को असंवैधानिक घोषित किया। लेकिन केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य वाले मामले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह की संवैधानिकता को बरकरार रखा। फिर भी इस शब्द की परिभाषा को व्यापक, जनोन्मुखी और लचीला बनाने की कवायद की। सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्त किया कि किसी कानून की एक व्याख्या संविधान के अनुकूल प्रतीत होती है और दूसरी संविधान के प्रतिकूल। तो न्यायालय पहली स्थिति के अनुसार कानून को वैध घोषित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में दि सुप्रिंटेंडेंट प्रिज़न फतेहगढ़ विरुद्ध डॉ. राममनोहर लोहिया प्रकरण में पुलिस की यह बात नहीं मानी कि यदि किसी कानून को नहीं मानने का जननेता आह्वान करे तो उसे राजद्रोह की परिभाषा में रखा जा सकता है। बलवंत सिंह बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने खालिस्तान जिंदाबाद नारा लगाने के कारण आरोपियों को राजद्रोह के अपराध से मुक्त कर दिया। कानून का ऐसा ही निरूपण बिलाल अहमद कालू के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया।

2010 में कश्मीर के अध्यापक नूर मोहम्मद भट्ट को कश्मीरी असंतोष को प्रश्न पत्र में शामिल करने, टाइम्स ऑफ इंडिया के अहमदाबाद स्थित संपादक भरत देसाई को पुलिस तथा माफिया की सांठगांठ का आरोप लगाने, विद्रोही नामक पत्र के संपादक सुधीर ढवले को कथित माओवादी से कम्प्यूटर प्राप्त करने, डॉक्टर विनायक सेन को माओवादियों तक संदेश पहुंचाने, उड़ीसा के पत्रकार लक्ष्मण चौधरी द्वारा माओवादी साहित्य रखने, एमडीएमके के नेता वाइको द्वारा यह कहने कि श्रीलंका में युद्ध नहीं रुका तो भारत एक नहीं रह पाएगा और पर्यावरणविद पीयूष सेठिया द्वारा तमिलनाडु में सलवा जुडूम का विरोध करने वाले परचे बांटने जैसे कारणों से राजद्रोह का अपराध चस्पा किया गया। उच्चतम न्यायालय ने श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ के ताजा फैसले में यह सिद्धांत स्थिर किया है कि किसी कानून में इतनी अस्पष्टता हो कि उसे निर्दोष लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके तो ऐसा कानून असंवैधानिक है।

भारतीय दंड संहिता में अन्य कई प्रावधान हैं। उनसे राज्य विद्रोही कार्यवाहियों के आरोपियों की मुश्कें कसी जा सकती हैं। धारा 121-क और 122 के अनुसार राज्य के विरुद्ध अपराध करने के लिए मौत तक की कड़ी सजाएं तो राजद्रोह की सजाओं से ज़्यादा हैं। राजद्रोह के लिए मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है। धारा 131 से 140 तक सेना के विरुद्ध अपराधों की सूची है। सुप्रीम कोर्ट ने केदारनाथ के प्रकरण में राजद्रोह की संवैधानिकता पर मुहर लगाई थी। तब इंग्लैंड में प्रचलित समानान्तर प्रावधानों का सहारा लिया गया था। इंग्लैंड में संबंधित धारा का विलोप कर दिया गया है। न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी इस तरह के कानून की कोई उपयोगिता प्रकट तौर पर नहीं रह गई है। राजद्रोह जैसे अपराध को अभिव्यक्ति की आजादी कुचलने के सरकारी या पुलिसिया डंडे के रूप में रखे जाने का संवैधानिक औचित्य नहीं है।

चुनाव आयोग ने लगाई राफेल घोटाले से जुड़ी किताब के प्रकाशन पर रोक, जब्त की 142 प्रतियां

जनचौक ब्यूरो

नई दिल्ली। चुनाव आयोग सरकार के गुर्गे की तरह व्यवहार कर रहा है। आयोग ने आज राफेल पर प्रकाशित होने वाली एस विजयन की किताब पर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देकर रोक लगा दी। तमिल में प्रकाशित होने वाली इस किताब का नाम "राफेल-घोटाला जिससे पूरा देश हिल गया" है। इसका आज विमोचन होना था और इस काम को "दि हिंदू" के संपादक एन राम को करना था। खुद राम ने भी राफेल पर कई श्रृंखलाओं में ब्रेकिंग स्टोरी की थी। जिसको लेकर संसद से लेकर साउथ ब्लाक तक में हलचल मच गयी थी।

इंडिया टुडे के हवाले से आई रिपोर्ट में बताया गया है कि चुनाव आयोग के एक दल ने प्रकाशक भारतीय पुस्तकालयम के यहां छापा मारकर किताब की 142 प्रतियों को जब्त कर लिया।

टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक अधिकारियों ने कहा कि किताब में कुछ संवेदनशील बातें थीं लिहाजा किताब के प्रकाशित होने से चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन होता। हिंदू के मुताबिक स्थानीय बुक स्टोरों से भी किताब की प्रतियों को जब्त किया गया है।

प्रकाशन समूह के संपादक पीके रंजन ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि वह किताब को इसलिए नहीं प्रकाशित कर सके क्योंकि यह एक राजनीतिक किताब थी।

उन्होंने बताया कि "उन्होंने कहा कि मैंने किताब के विमोचन से पहले अनुमति नहीं ली। यह बेहद चौंकाने वाला है क्योंकि किताबों का प्रकाशन शहर में हर दूसरे दिन होता है। और मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने हम लोगों को क्यों निशाना बनाया।"

इस पूरे प्रकरण पर एन राम ने पुथियाथलैमुराई टीवी से बात करते हुए कहा कि "किताब के प्रकाशन को रोकना लोकतंत्र और कानून के खिलाफ है। यह बोलने की आजादी के खिलाफ है।"

उन्होंने कहा कि वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किताब कोर्ट के हस्तक्षेप के जरिये प्रकाशित हो। क्योंकि यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती है। प्रकाशक ने भी कहा कि वह वकीलों से संपर्क करेंगे और मामले को कोर्ट में ले जाएंगे।

इस खबर पर बड़े स्तर पर प्रतिक्रिया हुई है। लोगों ने कहा है कि मोदी पर फिल्म रिलीज हो सकती है लेकिन राफेल पर किताब का प्रकाशन नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने नमो टीवी का भी हवाला दिया।

उनका कहना था कि नमो के नाम से टीवी का प्रसारण हो सकता है लेकिन राफेल पर किताब नहीं आ सकती है। ट्विटर पर मल्लिका भगत ने एक तरफ किताब और दूसरी तरफ मोदी पर बनी फिल्म का पोस्टर लगाकर पूछा है कि फिल्म आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती है लेकिन किताब करती है। यह कैसा दोहरापन है।